



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062025-264020
CG-DL-E-20062025-264020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2702]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2702]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जून, 2025
आयकर

का.आ. 2768(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात् आयकर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 80 ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के साथ पठित धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि किसी भी "भुगतानकर्ता" द्वारा किसी व्यक्ति को, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई है (इसमें इसके पश्चात् "आदाता" के रूप में संदर्भित) उक्त तालिका के कॉलम (3) में यथा निर्दिष्ट भुगतानों के संबंध में, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में यथा निर्दिष्ट आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

तालिका

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी यूनिट) (आदाता)	प्राप्ति की प्रकृति (भुगतान)	आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रासंगिक उपबंध
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बीएटीएफ सेवा प्रदाता	पेशेवर या परामर्श या सलाहकार शुल्क	194ज
2.	आइटी-व्यापारी	मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा किया गया भुगतान	194ज
		कमीशन प्रोत्साहन	194ज or 194ग
3.	वित्त कंपनी	लीज़ के कारण ब्याज	194क
		माल ढुलाई शुल्क या किराया शुल्क	194ग
4.	निधि प्रबंधन इकाई	पोर्टफोलियो प्रबंधन शुल्क	194ज
		निवेश सलाहकार शुल्क	194ज
		प्रबंधन शुल्क	194ज
		निष्पादन शुल्क	194ज
5.	मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम	पेशेवर या तकनीकी सेवा शुल्क	194ज
		ब्याज आय	194क
		समाशोधन सदस्यों पर लगाई गई शास्ति	194ज
6.	मान्यता प्राप्त निक्षेपागार	पेशेवर या तकनीकी या संविदात्मक शुल्क	194ज or 194ग
7.	मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज	व्यावसायिक या तकनीकी सेवा शुल्क	194ज
		डेटा सेंट्रों का किराया	194झ
		ब्याज आय	194क
		स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सदस्यों पर लगाई गई शास्ति	194ज

2. (1) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "बीएटीएफ सेवा प्रदाता" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बहीखाता लेखन, लेखाकरण, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं) विनियम, 2024 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ज) में इसे दिया गया है;

(ख) "आइटी-व्यापारी" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यवर्ती संस्थाओं) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में इसे दिया गया है;

(ग) "वित्त कंपनी" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) में इसे दिया गया है;

(घ) "निधि प्रबंधन इकाई" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (त) में इसे दिया गया है;

(ड) "मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ढ) में इसे दिया गया है;

(च) "मान्यता प्राप्त निक्षेपागार" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ण) में इसे दिया गया है;

(छ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) में इसे दिया गया है;

(ज) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में इसे दिया गया है; और

(झ) "आदाता" का तात्पर्य आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धारा (3) के अधीन स्पष्टीकरण के उप-खंडों (क) और (घ) के अर्थ के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई से है।

(2) इस अधिसूचना में दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्: -

(क) आदाता -

(i) भुगतानकर्ता को प्रपत्र संख्या 1 में एक विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें लगातार उन दस निर्धारण वर्षों से संबंधित पिछले वर्षों का ब्यौरा दिया जाएगा, जिनके लिए आदाता आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के अधीनस्थ कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है; और

(ii) ऐसी विवरण-सह-घोषणा प्रपत्र संख्या 1 में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित की जाएगी, जो लगातार उन दस निर्धारण वर्षों से संबंधित प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए है, जिनके लिए आदाता उक्त उप-धाराओं के अधीन कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है;

(ख) भुगतानकर्ता -

(i) आदाता से प्रपत्र संख्या 1 में विवरण-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् आदाता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर कर नहीं काटेगा; तथा

(ii) आदाता को किए गए सभी भुगतानों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा, जिन पर इस अधिसूचना के मद्देनजर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 31क के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) में संदर्भित कर कटौती के विवरण में कर नहीं काटा गया है।

3. इस अधिसूचना में प्रदान की गई छूट आदाता को केवल उन पिछले वर्षों के दौरान उपलब्ध होगी जो आदाता द्वारा प्रपत्र सं. 1 में घोषित किए गए अनुसार लगातार दस निर्धारण वर्षों के लिए प्रासंगिक हैं, जिसके लिए धारा 80 ठक के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है और भुगतानकर्ता किसी अन्य वर्ष के लिए ऊपर संदर्भित भुगतानों पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. इस अधिसूचना में दी गई छूट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई से उसके व्यवसाय से होने वाली आय के संबंध में है, जिसके लिए उसे किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसे केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदित किया गया है।

5. प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, -

(क) डेटा के सुरक्षित कैप्चर और प्रसारण तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक निर्धारित करेगा; और

(ख) उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियां बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. आदाता द्वारा भुगतानकर्ता को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण-सह-घोषणा का प्रारूप अधिसूचना [सं. 28/2024] संख्या का.आ 1135 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2024 के प्रपत्र सं. 1 में यथा निर्दिष्ट के समान होगा।

7. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 67/2025/फा. सं. 275/38/2025-आईटी(बी)]

रुबल सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2025

INCOME-TAX

S.O. 2768(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A read with sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as the Income-tax Act), the Central Government hereby notifies that no deduction of tax shall be made under the provisions of the Income-tax Act as specified in column (4) of the Table below, in respect of the payments as specified in column (3) of the said Table, made by any “payer” to a person, being a Unit in an International Financial Services Centre (hereinafter referred as “payee”) as specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	International Financial Services Centre (IFSC Unit) (Payee)	Nature of receipt (Payment)	Relevant provisions relating to deduction of Tax at source under Income-tax Act
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BATF Service Provider	Professional or Consulting or Advisory fees	194J
2.	Broker-Dealers	Payment made by Recognised Stock Exchanges	194J
		Commission Incentives	194H or 194C
3.	Finance Company	Interest on account of lease	194A
		Freight Charges or Hire Charges	194C
4.	Fund Management Entity	Portfolio management fees	194J
		Investment advisory fees	194J
		Management Fees	194J
		Performance Fees	194J
5.	Recognised Clearing Corporation	Professional or Technical Services fees	194J
		Interest Income	194A
		Penalty levied on clearing members	194J
6.	Recognised Depository	Professional or Technical or Contractual fees	194J or 194C
7.	Recognised Stock Exchange	Professional or Technical Services fees	194J
		Rent for Data Centres	194I
		Interest Income	194A
		Penalty levied on Members by Stock Exchanges	194J.

2. (1) For the purposes of this notification, –

(a) “BATF Service Provider” shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) “broker dealer” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(c) “finance Company” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(d) “fund management entity” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(e) “recognised clearing corporation” shall have the same meaning as assigned to it in clause (n) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(f) “recognised depository” shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority

(Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(g) “recognised stock exchange” shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(h) “Unit” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and

(i) “payee” means a unit in an International Financial Services Centre within the meaning of sub-clauses (a) and (d) to the Explanation under sub-section (3) of section 80LA of the Income-tax Act.

(2) The relaxation provided in this notification shall be subject to the following conditions, namely: -

(a) the payee shall –

(i) furnish a statement-cum-declaration in Form No. 1 to the payer, giving details of previous years relevant to the ten consecutive assessment years for which the payee opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the Income-tax Act; and

(ii) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner specified in Form No. 1, for each previous year relevant to the ten consecutive assessment years for which the payee opts for claiming deduction under the said sub-sections;

(b) the payer shall –

(i) not deduct tax on payment made or credited to the payee, after the date of receipt of copy of statement-cum-declaration in Form No. 1 from the payee; and

(ii) also furnish the particulars of all the payments made to the payee on which tax has not been deducted in view of this notification in the statement of deduction of tax referred to in sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act read with rule 31A of the Income-tax Rules, 1962.

3. The relaxation provided in this notification shall be available to the payee only during the said previous years relevant to the ten consecutive assessment years as declared by the payee in Form No. 1, for which deduction under section 80LA is being opted and the payer shall be liable to deduct tax on payments as referred above for any other year.

4. The relaxation provided in this notification is in respect of the income from any Unit in an International Financial Services Centre, from its business for which it has been approved for setting up in such a Centre in a Special Economic Zone.

5. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall –

(a) lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents; and

(b) be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

6. The format of statement-cum-declaration to be furnished by the payee to the payer shall be the same as specified in Form No. 1 of Notification [No.28/2024] Number S.O 1135 (E), dated the 7th March, 2024.

7. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2025.

[Notification No. 67 /2025/ F. No. 275/38/2025-IT(B)]

RUBAL SINGH, Dy. Secy.